न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1120/2012
आर.सी.एम.एस. :: 2012/00242

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर		1. पुरसिंह पुत्र वजीरसिंह 2. चिमनसिंह पुत्र वजीरसिंह 3. भंवरसिंह पुत्र वजीरसिंह 4. रूपी पत्नी राजूसिंह 5. किशनसिंह पुत्र राजूसिंह 6. कालूसिंह पुत्र राजूसिंह 7. रूपसिंह पुत्र करमसिंह 8. गेनसिंह पुत्र लुम्बसिंह 9. गंगा बेवा सुरता 10. चेनसिंह पुत्र वेनसिंह 11. तिलोकसिंह पुत्र गंगासिंह 12. किशनसिंह पुत्र गंगासिंह 13. पप्पूसिंह पुत्र मगसिंह 14. मोतीसिंह पुत्र दुरगासिंह 15. रामसिंह पुत्र मूलसिंह जातियान रावत निवासीगण–पिपलिया बाडिया, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 2/8/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के पिता कुनाराम के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 417 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा किस्म बा.दो के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 417 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा किस्म बा.दो के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन किया जो वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 के द्वारा किस्म

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटन आदेश द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 08.05.1976 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 16.05.1986, 501 तथा 635 दिनांक 22.06.2008 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 417 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 417/1 रकबा 6 बीघा किस्म बा.दो के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन किया जो वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसका अप्रार्थीगण एवं उनके पिता के के नाम आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.दो. कर किया गया है एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 08.05.1976 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उनको गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा उसके पश्चात उनको नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 16.05.1986 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से नियमन ओदश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 08.05.1976 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 16.05.1986, 501 तथा 635 दिनांक 22.06.2008 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण एवं उनके पिता के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 08.05.1976 एंव इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 16.05.1986, 501 तथा 635 दिनांक 22.06.2008 को निरस्त फरमाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली